R. No. 792/
30/6/

मध्यप्रदेश शासन
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय

एफ 3–1/2008/ग्रामन (2) भोपाल, दिनांक 22/6/2011

JD(TC)
Consultant
(CSM)

प्रति,

परियोजना संचालक
मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति
[illegible]

विषय:–मध्यप्रदेश की महिला नीति वर्ष 2008–12 के संबंध में।
संदर्भ:–आपका पत्र क्रमांक एड्स/सी0एस0एम0/2011/1281 दिनांक 8.3.11.

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। विभाग द्वारा एड्स पीड़ित महिलाओं के लिये पृथक से कोई योजना संचालित नहीं है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में एड्स पीड़ित महिलाएं भी लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

([illegible])
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
महिला नीति कक्ष

क्र0 / ससउ / मनी / 2011 /

भोपाल, दिनांक 20 / 5 / 11

प्रति,

अवर सचिव,
मंत्रालय,
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग,
भोपाल

विषय:— प्रदेश की महिला नीति 2008—12 का क्रियान्वयन ।

संदर्भ:— आपका ज्ञापन क्र0 एफ6 -4 / दी– 11 भोपाल, दिनांक 29.4.11

उपरोक्त विषयांकित संदर्भ में लेख है विभाग की समस्त स्वरोजगार योजनाओं में महिला वर्ग हेतु 30 प्रतिशत लक्ष्य एवं बजट आरक्षित है। एच.आई. वी. / एड्स पीड़ित महिलाएं भी उक्त आरक्षित प्रावधान में शामिल है।

संयुक्त संचालक उद्योग
महिला नीति कक्ष

प्रतिलिपि–
क्र0 / ससउ / मनी / 2011 / 12 [illegible]

भोपाल, दिनांक [illegible] / [illegible] / 11

परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश [illegible] नियंत्रण समिति [illegible] एवं परिवार कल्याण विभाग [illegible] [illegible] 2011 [illegible]

संयुक्त संचालक उद्योग
महिला नीति कक्ष

MAHILA NITI CORRES

मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश की

महिला नीति
2008-12

महिला एवं बाल विकास विभाग
मध्य प्रदेश

4. महिलाओं के लिये गुणात्मक स्वास्थ्य सेवायें

नीतिगत प्रावधान

महिलाओं के लिये गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवायें एवं आहार पोषण की उपलब्धता।

संस्थागत व्यवस्थायें

- प्रत्येक आयु की महिला की स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों एवं सेवाओं की उपलब्धता हेतु संस्थागत व्यवस्थायें।
- महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता हेतु संस्थागत व्यवस्था।
- मानसिक रूप से अस्वस्थ्य महिला के लिये संस्थागत सुविधायें उपलब्ध कराना।
- मातृ मृत्युदर, एड्स एवं एनिमिया पर नियंत्रण के लिये सघन कार्यक्रम सुनिश्चित करने के तंत्र को विकसित करना एवं नियंत्रित करने के लिये निरंतर मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन।
- **चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों में महिला स्वास्थ्य संकेतकों, बालिका भ्रूण हत्या संबंधी जानकारी को शामिल करना।**

कार्ययोजना

क्र.	गतिविधियाँ	समयावधि	विभाग
4.1	प्रत्येक आयुवर्ग की महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल तथा चिकित्सा संस्थाओं में पृथक से वार्ड एवं सुविधायें एवं सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।	2008–12 सतत्	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग
4.2	सभी चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं संबंधित इकाईयों के लिये जैण्डर संवेदनशीलता प्रशिक्षण जिसमें महत्वपूर्ण महिला स्वास्थ्य संकेतकों का समावेश हो। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कैलेण्डर प्रसारित करना।	2008 सघन प्रशिक्षण महिला संकेतकों के अनुसार जिलो का चिन्हांकन कर कार्ययोजना	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग
4.3	महिलाओं से संबंधित चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सकों व चिकित्सालय कर्मियों को नवीनतम तकनीकी पद्धति व चिकित्सालय प्रबंधन पर रिफ्रेशर कोर्स	2008–10 एक वर्ष सघन प्रशिक्षण	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.4	प्रजनन स्वास्थ्य के लिये चिकित्सालयों में आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था – स्टाफ, उपकरण, मूलभूत सुविधा एवं गांव में प्रसव कक्ष की व्यवस्था, पर्याप्त स्वच्छता और कार्यकताओं की सुविधा	2008–12	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.5	प्रत्येक ब्लाक स्तर पर चिकित्सालय में महिला गायनाकॉलाजिस्ट की पद	2008–10 एक वर्ष में लक्ष्य प्राप्ति	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

	स्थापना, ग्रामीण स्तर पर पैथोलॉजी लैब की सुविधा उपलब्ध कराई जाये या ए.एम. को पैथोलाजी का प्रशिक्षण दिया जाये जिससे ग्रामीण महिलाओं को सुविधा हो।		
4.6	ब्लाक स्तर पर टेली मेडिसिन केन्द्रों की स्थापना।	2008–10	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.7	असाध्य रोगों से प्रभावित महिलाओं के स्वास्थ्य की विशेष देखभाल एवं इस संबंध में जानकारी की उपलब्धता।	2008–12	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग
4.8	अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठनों, इकाईयों के सहयोग से महिलाओं के स्वास्थ्य पर कार्ययोजनाओं का क्रियान्वयन व पारदर्शिता।	2008–12 निरंतर	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.9	संस्थागत प्रसव एवं सुरक्षित मातृत्व के लिये कार्ययोजना एवं संसाधनों को बढावा। जिला ब्लाक एवं ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य परामर्श केन्द्रों की स्थापना।	2008–10	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग भारतीय चिकित्सा पद्धति
4.10	परिवार कल्याण एवं महिला स्वास्थ्य, एड्स एवं सेक्सुअली ट्रान्समिटेट रोगों एवं उनसे संबंधित कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं लाभ राशि सीधे महिला को प्रदान करना एवं प्रचार प्रसार में पुरूषों की भागीदारी सुनिश्चित करना एवं एड्स पीडित महिलाओं के लिये विशेष योजनायें एवं पुनर्वास की व्यवस्था। कार्यक्रमों का वार्षिक मूल्यांकन।	2008–12 सतत्	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जनसंपर्क विभाग
4.11	महिलाओं में एनिमिया पर नियंत्रण के लिये कड़ाई से मॉनिटरिंग एवं कार्ययोजना, प्रचार प्रसार, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना इस हेतु पंचायत संस्थानों, महिला संगठन, स्वसहायता समूहों से सहयोग	2008–12 सतत्	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
4.12	आदिवासी एवं ग्रामीण महिला के पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान के उपयोग को बढावा।	2008–12 सतत्	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग भारतीय चिकित्सा पद्धति आदिवासी विकास विभाग
4.13	गरीब महिलाओं को प्रसव के समय निःशुल्क दवायें एवं पौष्टिक आहार की	2008–12 सतत्	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

C.S.M.
13-7-11

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

(574, साउथ सिविल लाईन्स)

12691
13/7/11

क फा.नं.32 / एचआईव्ही. / एड्स / राविसेप्रा / / 2011 जबलपुर, दिनांक / 7 / 2011

प्रति,

जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला समस्त 50 (म0प्र0)

विषयः— एचआईव्ही / एड्स पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के संबंध में ।

संदर्भः— मध्य प्रदेश एड्स नियंत्रण समिति भोपाल का पत्र क्रमांक एड्स / सी. एस. एम / 2011 / 2589 / दिनांक 24.6.2011

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि मध्य प्रदेश के समस्त विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से एच.आई.व्ही. / एड्स पीड़ित व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है । यथानिर्देश कृपया अध्यक्ष, जिला एवं तहसील अधिवक्ता संघ को अधिवक्ताओं के माध्यम से एच.आई. व्ही. / एड्स पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदाय करने हेतु अनुरोध करते हुये सहमति प्राप्त करने का कष्ट करें ।

(एस0सी0 पाण्डेय)
उप सचिव

पृष्ठा.क 32 / एचआईव्ही. / एड्स / राविसेप्रा / / 2011 जबलपुर दिनांक / 7 / 2011

प्रतिलिपिः—

सलाहकार (सिविल सोसायटी मेनस्ट्रीमिंग) मध्य प्रदेश एड्स नियंत्रण समिति (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग — म0प्र0 शासन) द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन । अरेरा हिल्स, भोपाल को उनके पत्र दिनांक 24 / 6 / 2011 के सन्दर्भ में सूचनार्थ ।

(एस0सी0 पाण्डेय)
उप सचिव

See footnote

मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग–म.प्र. शासन)
द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेरा हिल, भोपाल (मध्यप्रदेश) पिन–462011
फोन – 0755-2570442, 2570431 फैक्स : 0755-2556619

क्रमांक / F-CST-18 /ART/SC/2011 / 3048 भोपाल, दिनांक 25 / 07 / 2011

प्रति,

समस्त नोडल अधिकारी
एआरटी केन्द्र
मध्यप्रदेश

विषय : एच.आय.व्ही. प्रभावित व्यक्तियों को अंत्योदय अन्न योजना का लाभ प्रदान करने बाबत्।
संदर्भ : इस कार्यालय का पत्र क्र. F CST 18/ART/SC/2011/2636-2637, दिनांक 27.6.2011

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत इस कार्यालय द्वारा जारी संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। पत्र एचआयव्ही प्रभावित व्यक्तियों को अंत्योदय अन्न योजना का लाभ देने के संबंध में है।

पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करें व एआरटी केन्द्र में आने वाले एचआयव्ही प्रभावित व्यक्तियों को योजना की जानकारी देने के लिए एआरटी केन्द्र के समस्त स्टाफ को निर्देशित करें।

इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि एचआयव्ही प्रभावित व्यक्तियों को अंत्योदय अन्न योजना का लाभ एआरटी केन्द्र द्वारा जारी ग्रीन बुक के आधार पर दिया जाएगा। अतः निम्न कार्यवाहियां की जाना सुनिश्चित करें :

1. एआरटी केन्द्र में शेष खाली ग्रीन बुक की जानकारी दिनांक 30 / 7 / 2011 **तक इस कार्यालय को प्रेषित करें।**
2. **शेष सभी ग्रीन बुकों** व भविष्य में प्रदाय होने वाली ग्रीन बुक के ऊपर **सीरियल नंबर अंकित किया जावे साथ ही इस कार्यालय द्वारा जारी पंजीयन क्रमांक भी अनिवार्य रूप से लिखा जावे। पंजीयन क्रमांक का पत्र क्रमांक** एफ–एआरटी / सीएसटी / 2010 / 3853, दिनांक 25.08.2010 संलग्न है। एआरटी सिवनी के लिए कोड इस प्रकार है – MP-SEY-2011 (अंतिम चार अंक चालू वर्ष है जो हर 01 जनवरी को परिवर्तित होगा)।
3. एआरटी के परामर्शदाता द्वारा एक रजिस्टर संधारित किया जावे जिसमें ग्रीन बुक जारी करने का विवरण दर्ज हो, इसमें क्रमांक, नाम, पूर्ण पता मय संपर्क क्र. के, पंजीयन दिनांक, प्री–एआरटी नं., ग्रीन बुक का सीरियल नं., ऑन एआरटी नं., एड्रेस प्रूफ प्राप्त, ग्रीन बुक की प्रथम प्रति जारी करने की दिनांक, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, ग्रीन बुक की द्वितीय प्रति जारी करने की दिनांक, ग्रीन बुक का सीरियल नं. प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, ग्रीन बुक की तृतीय प्रति जारी करने की दिनांक, ग्रीन बुक का सीरियल नं., प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, आदि
4. नई ग्रीन बुक जारी करते समय पुरानी ग्रीन बुक अनिवार्य रूप से वापिस जमा करायी जावे।
5. ग्रीन बुक का स्टॉक अच्छी तरह से संधारित किया जावे एवं खाली ग्रीन बुक लॉक एण्ड की में रखी जावे।
6. ग्रीन बुक के वितरण तथा रखरखाव की नियमित निगरानी की जावे एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता यदि पायी जाती है तो दोषी व्यक्ति दण्ड के भागी होंगे। ऐसी परिस्थितियां सामने आने पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को भी सूचित किया जावे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(अश्विनी कुमार राय)
परियोजना संचालक

पृ. क्रमांक / F-CST-18 /ART/SC/2011 / भोपाल, दिनांक / /2011

प्रतिलिपि :

1. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिष्ठाता, आर.डी. गार्डी चिकित्सा महाविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला – खण्डवा, मन्दसौर, सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

परियोजना संचालक

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
सतपुड़ा भवन
मध्यप्रदेश

पत्र क्र. CST-18/ART/SC/HA/C-6/2011/929 भोपाल, दिनांक 25/7/2011

प्रति

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक

मध्यप्रदेश

विषय : एचआयव्ही प्रभावित व्यक्तियों की निःशुल्क जांच करने बाबत।

प्रदेश में एचआयव्ही संक्रमित व्यक्तियों को मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के द्वारा निःशुल्क एन्टी रीट्रोवायरल ट्रीटमेंट (ए.आर.टी.) उपलब्ध कराया जा रहा है। यह उपचार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार दिया जा रहा है।

एचआयव्ही प्रभावित व्यक्तियों की आथिक स्थिति को ध्यान मे रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ भी एचआयव्ही प्रभावित व्यक्तियों को उनकी पात्रतानुसार प्रदाय करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके है।

नाको द्वारा निर्धारित एआरटी उपचार आरंभ करने के पूर्व एचआयव्ही प्रभावित व्यक्तियों के कुछ बेस लाईन परीक्षण किए जाना आवश्यक होते हैं परन्तु, कई बार इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ये परीक्षण नहीं करवा पाते जिससे इनका उपचार प्रभावित होता है।

अतः प्रदेश के समस्त एचआयव्ही प्रभावित व्यक्ति जिनके पास एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र (आईसीटीसी) द्वारा जारी जांच प्रतिवेदन हो और जिसमें जांच परिणाम एचआयव्ही प्रभावित दर्ज हो, को निम्नानुसार जांचें प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सालयों द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे :

1. CBC, 2. BL Urea, 3. S Creat, 4. S Bilirubin, 5. SGPT, 6. SGOT (LFT), 7. RBS, 8. Lipid Profile, 9. VDRL, 10. HbsAg, 11. X-ray Chest, 12. Sonography

कृपया उपरोक्त अनुसार एचआयव्ही प्रभावित व्यक्तियों की निःशुल्क जांच के लिए सभी संबंधितों को सूचित करें।

23/7/11
(जे.एन. कंसोटिया)
आयुक्त, स्वास्थ्य

पृ. पत्र क्र. CST-18/ART/SC/HA/C-6/2011 भोपाल, दिनांक / /2011

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.
3. समस्त नोडल अधिकारी, एआरटी केन्द्र, म.प्र.
4. समस्त नोडल अधिकारी जिला एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, म.प्र

आयुक्त, स्वास्थ्य

मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग–म.प्र. शासन)
द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेरा हिल, भोपाल (मध्यप्रदेश) पिन–462011
फोन – 0755-2570442, 2570431 फैक्स : 0755-2556619

क्रमांक / F-CST-18 /ART/SC/2011 /   भोपाल, दिनांक   /   /2011

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषय : **बी.पी.एल. योजनांतर्गत एच.आय.व्ही. पॉज़ीटिव व्यक्तियों को अंत्योदय योजना की सूची में शामिल करने बाबत्।**
संदर्भ : संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का पत्र क्र. 2966 / खाद्य / राशन कार्ड / 2011, दिनांक 18.05.2011

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा बी.पी.एल. योजनांतर्गत एच.आय. व्ही. पॉज़ीटिव व्यक्तियों को अंत्योदय योजना की सूची में, शामिल करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार एच.आय.व्ही. / एड्स पीड़ित बी.पी.एल. परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड का वितरण कराया जाना है। इस तारतम्य में जिले में ऐसे बी.पी.एल. हितग्राही जो कि एचआयव्ही / एड्स से पीड़ित हैं उनके नाम ए.ए.वाय. सूची में सम्मिलित करते हुए नियमानुसार राशन कार्ड जारी करने की कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए गए हैं।

राष्ट्रीय एड्स निवारण एवं नियंत्रण नीति के अनुसार एच.आय.व्ही. प्रभावित व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाती है अतः जिलों में स्थित एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्रों (आय.सी.टी.सी.) के द्वारा एचआयव्ही प्रभावितों की सूची बिना व्यक्ति की सहमति के दी जाना संभव नहीं है। परन्तु यह योजना एचआयव्ही / एड्स प्रभावित व्यक्तियों के व्यापक हित में है अतः यह निर्धारित किया गया है कि ऐसे सभी एचआयव्ही प्रभावित व्यक्ति जिनके पास एआरटी केन्द्र में पंजीयन होने के प्रमाण स्वरूप प्राप्त ग्रीन बुक (हरे रंग की किताब) जिस पर एचआयव्ही प्रभावित व्यक्ति का फोटो लगा होता है साथ ही उस पर एआरटी केन्द्र में पंजीकृत होने का प्री–एआरटी नंबर दर्ज होता है, उन सभी को इस योजनांतर्गत बी.पी.एल. की श्रेणी में होने पर ए.ए.वाय. राशन कार्ड प्रदान किए जावे। ग्रीन बुक का एक नमूना पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया जिले की खाद्य शाखा को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे ग्रीन बुक लेकर आने वाले एचआयव्ही प्रभावित व्यक्तियों को उनकी पात्रता होने पर नियमानुसार ए.ए.वाय. का राशन कार्ड प्रदान करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ग्रीन बुक,

\\

(अश्विनी कुमार राय)
परियोजना संचालक
मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

D:\CCC\ART\2011\MISC Letters.doc

पृ. क्रमांक / F-CST-18 /ART/SC/2011 / 2637 भोपाल, दिनांक 27/06/2011

प्रतिलिपि :

1. सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तृतीय तल, बैंक ऑफ इंडिया भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संयुक्त संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित कर लेख है कि सभी आयसीटीसी केन्द्रों को निर्देशित करें कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए समस्त एचआयव्ही प्रभावित व्यक्तियों को योजना की जानकारी दें।
6. समस्त नोडल अधिकारी, एआरटी केन्द्र की ओर प्रेषित कर लेख है कि योजना की जानकारी का एक डिस्प्ले एआरटी केन्द्र पर लगाएं व इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए समस्त एचआयव्ही प्रभावित व्यक्तियों को योजना की जानकारी दें।
7. समस्त नोडल अधिकारी, जिला एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की ओर प्रेषित कर लेख है कि योजना की जानकारी समस्त एचआयव्ही प्रभावित व्यक्तियों तक पहुंचाने हेतु योजना का प्रचार प्रसार करें।
8. समस्त जिला आयसीटीसी सुपरवाईजर्स की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. श्री रज़ा अहमद, क्षेत्रीय समन्वयक, पापुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, एम 6–7, गुरूकृपा काम्पलेक्स, प्लॉट नं. 9, एम.पी. नगर, जोन 1, भोपाल (म.प्र.) 462 011
10. श्री अचिन्त वर्मा, राज्य कार्यक्रम अधिकारी, पापुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, एम 6–7, गुरूकृपा काम्पलेक्स, प्लॉट नं. 9, एम.पी. नगर, जोन 1, भोपाल (म.प्र.) 462 011
11. डॉ. अरविन्द बासोतिया, राज्य कार्यक्रम अधिकारी, हिन्दुस्तान लेटेक्स फेमिली प्लानिंग प्रोमोशन ट्रस्ट, ई–7/83, अशोका सोसायटी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) 462 016 की ओर प्रेषित कर लेख है कि सभी कम्युनिटी केअर सेंटरों को उपरोक्त योजना का प्रचार प्रसार करने हेतु निर्देशित करें।
12. श्री राजपाल शेखावत, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव पीपुल, ए–578, न्यू अशोका गार्डन, अर्जुनसिंह दशहरा मैदान के पास, भोपाल, म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त जानकारी से समस्त जिला नेटवर्क को अवगत कराएं व अधिक से अधिक से एचआयव्ही प्रभावित व्यक्तियों को योजना का लाभ मिले इस हेतु समस्त प्रयास करने का कष्ट करें।

परियोजना संचालक
मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

D:\CCC\ART\2011\MISC Letters.doc

मध्यस्तरीय/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों की आयोजित बैठक दिनांक 12.06.2012 का कार्यवाही विवरण।

दिनांक 12.06.2012 को श्री अक्षय श्रीवास्तव संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में प्रदेश में संचालित समस्त मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र, शासकीय एवं अशासकीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य, मुख्यनिर्देशिकाओं एवं प्रत्येक केन्द्र के एक लिपिक की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित प्राचार्य, मुख्यनिर्देशिकाओं एवं लिपिक की सूची संलग्न है।

बैठक में श्री अक्षय श्रीवास्तव संयुक्त संचालक, एवं श्री महेन्द्र द्विवेदी, उप संचालक (प्रशिक्षण) द्वारा ऐजन्डावार समीक्षा की गई तदुपरान्त निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

- प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा नामांकित प्रतिभागी की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र से संबंधित जिलो में कार्यरत पर्यवेक्षक के नामवार, मोबाईल नम्बर की सूची, संचालनालय का पत्र क.–1012, दिनांक 23.5.2012 एवं HIV / एड्स प्रशिक्षण मॉड्यूल सभी केन्द्र प्रभारियों को प्रदाय किया गया।
- श्री महेन्द्र द्विवेदी, उप संचालक (प्रशिक्षण) द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को प्रशिक्षण की जानकारी, ऑन लाईन फीड करने एवं आंगनवाड़ी केन्द्र, सेक्टर, आई.सी.डी.एस. एवं जिलेवार बेकलॉग की स्थिति ज्ञात करने संबंधी प्रशिक्षण दिया गया तथा प्रतिभागियों से कम्प्यूटर में प्रेक्टिस भी करवाई गई।
- प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को HIV / एड्स की जानकारी अनिवार्यतः दी जावे।

(कार्यवाही प्रशिक्षण केन्द्र)

- पर्यवेक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मूलभूत एवं प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण हेतु पात्र प्रतिभागियों की जानकारी ICDS एवं पर्यवेक्षक से प्राप्त कर वेबसाईट में 30 जून 2012 तक अनिवार्यतः Feed किया जावे एवं प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति पर निर्धारित वेबसाईट में प्रशिक्षण की जानकारी Feed करे।

(कार्यवाही प्रशिक्षण केन्द्र)

- प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण हेतु, वार्षिक कैलेण्डर एवं प्रशिक्षण सत्रवार प्रतिभागियों की सूची पूर्व से तैयार करें एवं प्रतिभागियों को भारमुक्त करने हेतु संबंधित CDPO को सूची प्रेषित करें तथा प्रतिभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण दिनांक के 15 दिवस पूर्व संबंधित प्रतिभागी को दूरभाष/ मोबाईल पर सूचना दी जावे।

(कार्यवाही प्रशिक्षण केन्द्र)

M. Dwivedi
24/6/12

- प्रत्येक सत्र में 40 प्रतिभागी की उपस्थिति के साथ प्रतिमाह प्रत्यास्मरण के 04 सत्रों का आयोजन किया जावे, एवं धार्मिक त्योहार आदि के समय स्थानीय परियोजना/जिले के प्रतिभागियों को प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया जाए, जिससे प्रशिक्षण सत्र में प्रतिभागियों की निर्धारित संख्या सुनिश्चित की जा सके।

  (कार्यवाही प्रशिक्षण केन्द्र)

- वर्ष 2012–13 में एक सत्र मूलभूत प्रशिक्षण का एवं शेष अवधि में मात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण का आयोजन किया जाए। संचालनालय द्वारा अन्य प्रशिक्षण आयोजन के निर्देश दिये जाने पर अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा सकेगें उक्ताशय में 19.03.2012 की बैठक में भी चर्चा की गई थी।

  (कार्यवाही संचालनालय, प्रशिक्षण शाखा)

- प्रशिक्षण केन्द्र के भवन एवं उससे संबंधित अमले द्वारा पर्यवेक्षक/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण से संबंधित कार्य किया जावें। जिला स्तर से कोई कार्य सौंपा जाता है वह अतिरिक्त प्रभार के रूप में किया जावे। किसी भी स्थिति में अन्य कार्यों के कारण प्रशिक्षण का मूलकार्य प्रभावित नहीं हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे। **(कार्यवाही प्रशिक्षण केन्द्र)**

- समस्त प्रशिक्षण केन्द्र, 3 जुलाई 2012 तक प्रथम त्रैमास की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में विशेष वाहक से संचालनालय को प्रेषित करेंगे। प्रत्येक त्रेमाश की समाप्ति उपरान्त 03 दिवस के भीतर (जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल की 03 तारीख को) प्रगति प्रतिवेदन संचालनालय को अनिवार्यतः प्रेषित करेगें। **(कार्यवाही प्रशिक्षण केन्द्र)**

- प्रशिक्षण केन्द्र होशंगाबाद बैतूल एवं राजगढ़ में विगत दो माह में केन्द्र द्वारा समस्त कार्य दिवस में प्रशिक्षण का कार्य नहीं किया गया है, इस प्रकार एक ओर लक्ष्य के विरूद्व उपलब्धि अत्यंत कम हो गई है वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षण का बेकलॉक बढ़ गया है तथा प्रशिक्षण केन्द्र पर किया गया प्रशासनिक व्यय भी निरर्थक हो गया है। यह अत्यंत गंभीर स्थिति है। अतः ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र, प्रशिक्षण भवन की क्षमता अनुसार आगामी महीनों में सामान्तर प्रशिंक्षण सत्रों का आयोजन करें। सामान्तर सत्रों के लिए एक सत्र में ऐसी स्थानीय परियोजना/जिले की प्रतिभागियों को जिन्हें बोर्डिंग सुविधा की आवश्यकता नहीं है एवं दूसरे सत्र में बोर्डिंग सुविधा की आवश्यकता वाली प्रतिभागियों को नामांकित किया जा सकता। प्रशिक्षण केन्द एवं अमले का प्रशिक्षण कार्य हेतु भरपूर उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।

- प्रशिक्षण शाखा द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों की समीक्षा हेतु त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया जावेगा। जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल की 05 तारीख को एवं अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में बैठक का आयोजन किया

Udmich
27/6/12

- प्रशिक्षण शाखा द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों की समीक्षा हेतु त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया जावेगा। जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल की 05 तारीख को एवं अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में बैठक का आयोजन किया जावेगा। विशेष कारण अथवा प्रशिक्षण आदि से संबंधित बैठक का आयोजन किया जाने पर पृथक से सूचना दी जावेगी।

  (कार्यवाही संचालनालय प्रशिक्षण शाखा, प्रशिक्षण केन्द्रं)

- बैठक में प्रशिक्षण केन्द्र में पदस्थ प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी, प्राचार्य, मुख्यनिर्देशिका उपस्थित होंगे अपरिहार्य कारण से बैठक में उपस्थित नहीं हो पाने की स्थिति में आयुक्त महोदय से अनुमति प्राप्त कर सूचना संचालनालय को प्रेषित करेंगे एवं केन्द्र से वरिष्ठ कर्मचारी की उपस्थिति बैठक में सुनिश्चित करें।

  (कार्यवाही--प्रशिक्षण केन्द्र)

(महेन्द्र द्विवेदी) 27/6/12
उप संचालक
एकीकृत बाल विकास सेवा,
मध्यप्रदेश

// जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल. //

/ 13512
8.12.11

-:: आदेश ::-

क्रमांक / 1173 / वारंट–1 / 2011, भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर, 2011

मध्यप्रदेश जेल मैन्युअल, 1968 के नियम–128 में निहित प्रावधान के अंतर्गत प्रदेश की जेलों में एच.आई.व्ही. / एड्स के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों के लिए अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षुओं को एच.आई.व्ही. / एड्स की जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराना ।
2. जेलों के अंदर सामान्यतः दोषसिद्ध एवं कतिपय पात्रतायुक्त प्रकरणों में विचाराधीन बंदियों को प्रशिक्षित कर उनमें से स्त्रोत शिक्षक बनाकर उन स्त्रोत शिक्षकों के माध्यम से बंदियों के व्यवहार में आवश्यक बदलाव लाने का सतत् प्रयास करना ।
3. जेल के चिकित्सालय में बंदियों को परामर्श एवं जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाना ।

CS-M

—है—

:: आर. सी. अरोड़ा ::

महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ

मध्यप्रदेश, भोपाल.

पृ0क्रमांक / 6025-28 / वारंट–1 / 2011, भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर, 2011.

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, जेल विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर एकल नस्ती क्रमांक–एफ 6–28 / 2011 / तीन अंतर्गत यू.ओ. क्रमांक–451 / 3 / जेल / दिनांक 27.09.2011 द्वारा जारी निर्देशानुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
3. सुश्री सुनीला शर्मा राजा, कंसलटेंट (सिविल सोसयटी मेनस्ट्रीमिंग) म0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण समिति, द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन–1 अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक–एड्स / सी.एस.एम. / 2011 / 4518 / दिनांक 24.11.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
4. समस्त जेल अधीक्षक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

रमेश अरोड़ा 28.12.11

महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ

मध्यप्रदेश, भोपाल.

उद्योग संचालनालय,मध्यप्रदेश
(निजी – कक्ष)

कमांक नि.क../उ.आ./ 2008/ भोपाल,दिनांक

प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

विषय :– एच .आई .व्ही / एड्स नियंत्रण कार्यकम ।...

जैसा कि विदित है एच .आई .व्ही / एड्स संक्रमण पूरे विश्व में जनसामान्य के स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है । इस संक्रमण से हमारा देश एवं प्रदेश भी अछूता नहीं है । एच.आई.व्ही. फैलाव की दृष्टि से मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा संक्रमण फैलाव के लिये उच्च संभावना वाले राज्यों की श्रेणी में रखा गया है । इस संदर्भ में प्रदेश के बालाघाट, देवास , हरदा , पन्ना , रीवा , इंदौर , भोपाल एवं मंदसौर जिले चिन्हित किये गये है , जहां प्राथमिकता के आधार पर एच .आई .व्ही / एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने की आवश्यकता है । मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा प्रदेश में एच .आई .व्ही / एड्स के नियंत्रण को लक्षित करते हुए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा तय प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है । इस संबंध में मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 30/7/08 एवं कान्सेप्ट पेपर की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है ।

2/ जैसा कि मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति , भोपाल के संदर्भित पत्र में उल्लेख किया गया है कि एच .आई .व्ही / एड्स के बचाव एवं इस संबंध मे उद्योगों, उद्यमियों एवं कामगारों में जागरूकता लाने के लिए विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एच .आई .व्ही / एड्स को भी विषय के रूप में सम्मिलित किया जाना उपयुक्त होगा ।

3/ अतः आपके स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उक्त विषय को भी सम्मिलित करने की कार्यवाही करें । इस संबंध में आवश्यक तकनीकी सहयोग मध्यप्रदेश राज्य एड्स समिति , भोपाल से प्राप्त किया जा सकता है । उक्त समिति का पता , दूरभाष , फेक्स एवं समिति में कार्यरत सलाहकार श्रीमती सुनीला शर्मा राजा के मोबाईल नम्बर इत्यादि का विवरण समिति के संलग्न पत्र की प्रति में दिया गया है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(दीपक खाण्डेकर)
उद्योग आयुक्त
म.प्र.

कमांक नि.क../उ.आ./ 2008/203 भोपाल,दिनांक 16-9-08

प्रतिलिपि :–

श्रीमती सुनीला शर्मा राजा , सलाहकार , सिविल सोसायटी , मेनस्ट्रीमिंग , मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति , तिलहन संघ भवन, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स , भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

16/9/08

(दीपक खाण्डेकर)
उद्योग आयुक्त
म.प्र.

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

1, अरेरा हिल्स, प्रशासनिक क्षेत्र ,तिलहन संघ परिसर, भोपाल
(Telephone 0755-2557727, Fax-0755-2552899)
(E-mail adress.dirpanchayat@mp.gov.in)

क्र./पंचा.राज/प्रशि.– 23/2014/10353 भोपाल, दिनांक 16/09/2014

प्रति,

1 संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान,
आधारताल जिला जबलपुर
मध्यप्रदेश।

2 संचालक,
संजय गांधी युवा नेतृत्व ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान
पचमढ़ी जिला होशंगाबाद,
मध्यप्रदेश।

3 प्राचार्य
पंचायत सचिव, प्रशिक्षण केन्द्र
जिला–शिवपुरी, नौगांव जिला–छतरपुर, मुलताई जिला–बैतूल
राऊ जिला इंदौर म.प्र.

विषय :– पंचायत विभाग के अंतर्गत संचालित पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रो मे आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणो मे एक सत्र एच.आई.व्ही /एड्स मुख्यधारा हेतु निर्धारित करने बाबत्।

संदर्भ :– म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति से प्राप्त पत्र कमांक एड्स सी.एम.एस /2014/2902 दिनांक 2.9.2014

---00---

उपरोक्त विषयातंर्गत संदर्भित पत्र मे लेख किया गया है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार एच.आई.व्ही /एड्स को मुख्यधारा मे लाये जाने हेतु, विभाग अंर्तगत प्रशिक्षण संस्थानो मे आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यकमो मे एक सत्र एचआईव्ही/एड्स का रखा जावे ताकि एड्स के दुष्परिणामो से बचा जा सके।

अतः सुनीला शर्मा राजा कंसलटेंट (सिविल सोसायटी मेनस्ट्रीमिंग) को प्रशिक्षण कार्यकमो मे आमन्त्रिंत किया जावे, प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियो को एच.आई.व्ही /एड्स प्रशिक्षण माड्यूल तथा विभिन्न आईईसी सामग्री सामग्रो का वितरण मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियत्रण समिति के द्वारा किया जावेगा साथ ही कंसलटेंट के द्वारा पावर पाईट प्रजेन्टेशन के माध्यम से एच.आई.व्ही/एड्स मुख्य धारा का प्रशिक्षण दिया जावेगा। सुनीला शर्मा राजा कंसलटेंट का मों. न 09589 684151 पर संपर्क करे।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(अशोक कुमार चौहान)
संयुक्त संचालक (प्रशि)
पंचायत राज संचालनालय म.प्र.

क्र./पंचा.राज/प्रशि.– 23/2014/10354 भोपाल, दिनांक 16/9/2014

प्रतिलिपि :–

सुनीला शर्मा राजा कंसलटेंट म.प्र राज्य एड्स नियंत्रण समिति की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।

राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान

भदभदा रोड़,बरखेड़ीकलां,भोपाल दूरभाष(0755) 2696612 फैक्स नं. 0755-2696697
Email: dirsiaet@mp.gov.in

क्र. / सियेट / प्रशि. / विविध / MCL-1/2014-15 / 5166 1820 भोपाल दिनांक 10/10/14

25.10.2014 15.10.14

आदेश

संयुक्त संचालक (ई.टी.) संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. / ई.टी. / प्रशि. / 2 / विविध / पार्ट फा. / 12-13-14 / 1126 भोपाल दिनांक 16.09.2014 के परिपेक्ष्य में विभाग की नीति गतिविधियों में एच.आई.व्ही. / एड्स. के बचाव व नियंत्रण विषयों को विभाग के प्रशिक्षणों में शामिल करने के लिये संस्थान (सियेट) से श्री यू.पी. बागरी उप संचालक (आत्मा) को नोडल अधिकारी नामांकित किया जाता है।

श्री बागरी को निर्देशित किया जाता है कि संस्थान में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण / वर्कशॉप में एच.आई.व्ही. / एड्स. विषय पर व्याख्यान / प्रेजेंटेशन कोर्स फ्रेमवर्क में सम्मिलित कराकर अनुमोदन पश्चात् सुचारू रूप से संचालित करने की आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं एच.आई.व्ही. / एड्स. के बचाव व नियंत्रण संबंधित जानकारी को विभाग की आई.ई.सी. में प्रकाशित करने की कार्यवाही सम्पादित करें।

संचालक द्वारा आदेशित

संलग्नः- (1) संयुक्त संचालक(ई.टी.)
संचालनालय कि.क.तथा
कृ.वि.म.प्र. भोपाल से प्राप्त पत्र की छायाप्रति

(2) म.प्र.राज्य एड्स नियंत्रण समिति
भोपाल का पत्र 2749 दिं.25.08.14
एवं पत्र क्रं.दिं.22.2.14 के संलग्न दिशा
निर्देश पेज - 6 की छायाप्रति

संयुक्त संचालक
सियेट भोपाल

क्र. / सियेट / प्रशि. / विविध / MCL-1/2014-15 / 5167
भोपाल दिनांक 10/10/14

प्रतिलिपिःसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संयुक्त संचालक,(ई.टी.) संचालनालय कि.क.तथा कृ.वि.म.प्र.भोपाल।
2. परियोजना संचालक, म.प्र.राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन,-1 अरेरा हिल्स भोपाल।
3. कंसलटेंट सिविल सोसायटी मेन स्ट्रीमिंग म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति अरेरा हिल्स भोपाल मो. नं. 9589684151
4. कोर्स कोआर्डिनेटर प्रशिक्षण / वर्कशॉप ....समस्त (सियेट) की ओर भेजकर लेख है कि नोडल अधिकारी से संपर्क कर कोर्स फ्रेमवर्क में एच.आई.व्ही. / एड्स. पर व्याख्यान / प्रेजेंटेशन निर्धारित कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।
5. कार्यालयीन / प्रशि. / आत्मा / पीजीडीएईएम / लेखा / स्थापना / स्टोर की ओर

10/10/14

संयुक्त संचालक
सियेट भोपाल

"Bhavtu Sabba Mangalam"

THE BUDDHABHOOMI DHAMMADOOT SANGHA (Regd.)

Off. : Buddabhoomi, Maitriya Buddha Mahavihar, Near Kolar Colony, Chuna Bhatti, Kolar Road, Bhopal (M.P.)

Founder / President	Vice President	Treasurer
Bhante Shakyaputra Sagar	Arvind Masarkar	Bhante Rahulputra

Date 20/07/2011

प्रतिष्ठा में

सम्माननीय पुनीत शर्मा,
म० प्र० राज्य एड्स नियंत्रण समिति,
भोपाल.

धन्यवाद ज्ञापन.

तथागत भगवान बुद्ध की असीम अनुकम्पा से आपका जीवन मंगलमय हो ऐसी कामना करता हूं।
द्ध धर्म मानवतावादी है और भगवान बुद्ध ने मनुष्य को ही अपने धर्म का के न्द्र बनाया है। मनुष्य दुखी क्यों है? उसका दुःख दूर कैसे हो सकता है? जीवन समस्या कैसे दूर हो सकती उसका निदान तथागत भगवान बुद्ध ने ज निकाला और 45 साल तक उन्होंने मानव जाति का कल्याण किया.

2555 वीं त्रिगुणा पावन बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर दिनांक 17 मई 011 को आप उपस्थित होकर सेकड़ो बौद्ध अनुयाईयों को "एड्स बचाव एवं चार जांच" लोगों को बाटे तथा समिति के पदाधिकारियों को एड्स के रे में जानकारी देने के लिए निवेदन किया आपके निवेदन पर बौद्ध नुयाईयों हमने जानकारी दी और आगे भी देंगे। समाधान तथा एड्स रोग और कुष्ठ ... में सभी
आपके द्वारा एड्स नियंत्रण एवं बचाव प्रशिक्षण शिविर में भी आमंत्रित करके एड्स के बारे में तथा बौद्ध धर्म में "नैतिक पथ" कैसा है स पर हमने प्रकाश डाला। आपके कार्य को बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद थ आपके संपूर्ण टीम को मंगलकामना, आप सभी स्वस्थ और निरोगी रहे.

आपकी सेवा में

To,

Sunila Sharma Raja,
Consultant M.P. Sacs,

Res. Madam,

After Advocacy and Orientation of H.I.V. /AIDS main streaming. We are Senstizing our followers, Gurdwara attenders about Prevention of HIV/AIDS .

As per Gurbani

"SO KYON MANDA AKHIA JIT JAMME RAJAN"

"EKA NARI JATI HOI"

" PAR NARI DIHI BAHAN BAKHANE"

Single Wife Concept as per Sikh Relegion Decreas infaction of HIV/AIDS

We will try to decreas Stigma and Discrimination of HIV/AIDS Patients in our lecture and distributs your Prachar Samagri .

Thanks,

ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Giyani Pushpinder Singh,
Gurdwara Arera Colony,
Bhopal.